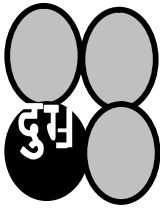


भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

वार्षिक साधारण सभा में नाश्ता एवं
भोजन व्यवस्था हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
हबीबगंज डेयरी प्लांट, भोपाल — 462024
दूरभाष — 0755. 2478250 से 253
फैक्स नम्बर — 0755-2450896
E- mail : gm.fo.bsds@gmail.com

:: भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ::

डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल-462024

फोन नंबर (0755)-2478250 से 253, फैक्स नं० (0755)-2450 896

Ref No: 5388-5386

Dated:

वार्षिक साधारण सभा में स्वल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल की 42 वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन माह सितम्बर 2024 में किया जाना है। इस हेतु आवश्यक स्वल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था करने के लिये प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम पंजीकृत कम्पनी/फर्म/एजेन्सी से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र के साथ रुपये 6,000/- ईएमडी जमा कराना अनिवार्य होगा। ईएमडी की मूल रसीद एवं वांछित दस्तावेज, पेन कार्ड तथा फूड लायसेंस की स्वप्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य की जावेगी।

कार्य विवरण	निविदा प्रपत्र की राशि रु.	निविदा फार्म प्राप्त करने की दिनांक व समय	निविदा भरने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खुलने की दिनांक व समय
वार्षिक साधारण सभा में स्वल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था	500.00	07-08-2024 प्रातः 11:00 बजे	21-08-2024 मध्याह्न 12:00 बजे	22-08-2024 अपरान्ह 03:00 बजे

निविदा प्रपत्र का पूर्ण विवरण mptenders.gov.in एवं इस कार्यालय की वेबसाईट www.sanchidairy.com तथा www.sanchibhopal.com पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र mptenders.gov.in से ऑनलाईन क्रय किया जाना होगा। समस्त निविदाएँ या किसी एक निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन या शुद्धि किये जाने पर वेबसाईट में ही परिवर्तन किया जायेगा अन्य किसी माध्यम में नहीं, अतः नियमित रूप से www.sanchidairy.com की वेबसाईट www.sanchidairy.com एवं www.sanchibhopal.com देखें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 500/-

—: निविदा प्रपत्र :—

निविदा कार्य:—

1. भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल की 42 वीं वार्षिक साधारण सभा में स्वल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था हेतु निविदा सूचना।

निविदा प्रपत्र क्रय हेतु प्रारंभ दिनांक एवं समय : 07.08.2024 को प्रातः 11:00 बजे से

निविदा प्रपत्र जमा हेतु अंतिम दिनांक एवं समय : 21.08.2024 को मध्याह्न 12:00 बजे तक

निविदा खोले जाने की दिनांक एवं समय : 22.08.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे

पत्राचार हेतु पता:—

: भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज,
भोपाल-462024(म.प्र.)

निविदाकार द्वारा तकनीकी निविदा प्रपत्र ऑनलाईन जमा किए जाने होंगे।

(अ) धरोहर राशि (EMD) - Online

(ब) निविदा प्रपत्र (Price Bid) - Online

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| ● तकनीकी अर्हताएँ | — प्रपत्र क्रमांक 01 |
| ● कार्य हेतु निविदा शर्तें | — प्रपत्र क्रमांक 02 |
| ● शपथ पत्र/घोषणा पत्र | — प्रपत्र क्रमांक 03 |
| ● भोज्य आहार विवरण | — प्रपत्र क्रमांक 04 |
| ● भावपत्रक | — प्रपत्र क्रमांक 05 |

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

❖ निविदा के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु निविदाकारों के लिये दिशा निर्देश –

निविदा अंतर्गत दुग्ध संघ द्वारा निविदाकार से अनिवार्यतः वांछित प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची प्रपत्र क्रमांक 01 में दिये गये अनुसार है। निविदाकार द्वारा वांछित दस्तावेजों में से किन किन दस्तावेजों को संलग्न किया गया है, का उल्लेख करते हुये प्रपत्र क्रमांक 01 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल को संबोधित पत्र, हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

1. भोजन एवं स्वल्पाहार व्यवस्था प्रदान करने हेतु निविदाकार के पास स्वयं के स्वामित्व की उक्त कार्य की पंजीकृत फर्म/होटल होनी चाहिए।
2. निविदाकार का भोपाल शहर में स्वयं का प्रतिष्ठान/अधिकृत केन्द्र/बेस किचन होना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य की जावेगी।
3. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए या किसी भागीदारी की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्त्यार नामा है। इस प्रकार संबंधित प्रतिनिधि भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र ऑनलाईन जमा करना होगा।
4. निविदाकार को जी.एस.टी./सर्विस टैक्स/टिन एवं आयकर पंजीकृत होना चाहिए एवं इसका पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
5. निविदा हेतु अर्हता क्रमांक 8 हेतु शपथ पत्र संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कृपया प्रपत्र क्रमांक 01 का अवलोकन करें।
6. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत अर्हताओं से संबंधित समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जा सकता है।
7. बिना हस्ताक्षर अथवा अपूर्ण जानकारी वाली निविदाओं को, निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा जावेगा।
8. निविदा के साथ रुपये 6,000 /— (रुपये छः हजार मात्र) धरोहर राशि ऑनलाईन जमा करना होगी। जमा की गई धरोहर राशि रुपये 6,000 /— की मूल रसीद की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ ऑनलाईन संलग्न करनी होगी अन्यथा निविदा निरस्त की जावेगी।
9. सफल निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने पर सुरक्षा निधि राशि रुपये 15,000 /— (रुपये पंद्रह हजार मात्र) संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। इस राशि में धरोहर राशि को समायोजित किया जा सकेगा।
10. निविदाकार को जमा की गई EMD राशि की पावती, निविदा की समस्त शर्तों पर सहमति दर्शाते हुये सील सहित हस्ताक्षर युक्त प्रति, तथा **प्रपत्र क्रमांक 01 “अर्हतायें”** में विवरण अंकित करते हुये उसकी सत्यापित प्रति एवं **भाव पत्र (प्रपत्र क्रमांक 06)** ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।
11. निविदा प्रपत्रों में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी इसलिए अपनी शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रों में नहीं करें।
12. निविदाकार को **प्रपत्र क्रमांक 01** में दर्शाये गये अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होगा।
13. भोजन/स्वल्पाहार बनाने में ब्राण्डेड खाद्य सामग्री जो कि एगमार्क/एफ.एस.एस.ए.आई. या अन्य कोई निर्धारित शासकीय संस्था द्वारा प्रमाणित सामग्रियों का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
14. निविदा प्रपत्रों में दी गई जानकारीयों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवंटित ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि (**Earnest Money**) जब्त की जावेगी।
15. म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित इस प्रकार की सेवाओं हेतु समस्त प्रकार के पंजीयन एवं प्रमाण-पत्र फर्म के पास होना अनिवार्य है।
16. फर्म को शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं कार्यालय की उपरोक्त व्यवस्थाओं से सम्बंधित समस्त प्रकार के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
17. निविदाकार को गुणवत्ता युक्त एवं स्वच्छता मानक को ध्यान में रखकर वित्तीय बिड में प्रचलित बाजार दर एवं मानक मात्रा के अनुसार दरें प्रस्तुत करना होगा।
18. भाव दरें खोलने के पश्चात यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत हों और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

19. निविदाकार द्वारा प्रचलित बाजार दर से बहुत कम दरें प्रस्तुत करने पर भी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अतः निविदाकार द्वारा प्रचलित बाजार दर से भी कम अथवा अत्यधिक दरें प्रस्तुत करने पर विभागीय क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि बाजार सर्वे के आधार पर प्रचलित बाजार दर निर्धारित कर ऐसी निविदाओं को निरस्त करे जिनमें प्रचलित बाजार दरों से बहुत कम अथवा बहुत अधिक दरें प्रस्तुत की गई हैं।
20. फर्म अथवा निविदाकर्ता द्वारा अपना जो भी विवरण निविदा के प्रपत्रों में किया जावेगा वह स्पष्ट एवं हिन्दी भाषा में लेख किया जावे।
21. निविदा प्रपत्र पूर्णतः स्पष्ट रखना होगा। निविदा में कोई परिवर्तन तथा कोई परिवर्धन, कोई ऊपरी लेखन (ओव्हर राइटिंग) सफेद फल्यूड से नहीं की जानी चाहिये। ऐसा करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
22. निविदाकार अपनी निविदा को पूर्णतः या अंशतः न तो किसी अन्य को सुपुर्द कर सकेगा न ही हस्तांतरित कर सकेगा।
23. निविदाकार यदि उचित समझता है तो निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकता है। उपस्थित न रहने की स्थिति में किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा खोलने की दिनांक/समय में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी सूचना निविदाकर्ता को एमपी टेण्डर के माध्यम से दी जायेगी।
24. निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर धरोहर राशि 15 दिवस के अंदर वापस कर दी जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ,
डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल-462024

**भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल ।

महोदय,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल की 42 वीं वार्षिक साधारण सभा में स्वल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था हेतु दिनांक को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार वार्षिक साधारण सभा में स्वल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा धरोहर राशि (Earnest Money) रुपये 6,000/- (रु. छः हजार मात्र) जमा कर पावती एवं अर्हताओं के लिये प्रमाण के तौर पर वांछित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर ऑनलाईन जमा कर रहा हूँ।

अनिवार्य अर्हतायें

क्र.	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है अथवा नहीं अंकित करें
1	निविदाकर्ता का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत कार्यालय के प्रमाणपत्र की छायाप्रति।	है/ नहीं
2	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशिप डीड की छायाप्रति।	है/ नहीं
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।	है/ नहीं
4	निविदाकर्ता के पास भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) द्वारा जारी लायसेंस होना अनिवार्य है।	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन प्राप्त नवीनीकृत लायसेंस की छायाप्रति।	है/ नहीं
5	निविदाकर्ता का पेन कार्ड होना अनिवार्य है।	पेन कार्ड की छायाप्रति।	है/ नहीं
6	क्या निविदाकर्ता का भोपाल शहर में कार्यालय है।	यदि हाँ, तो पूर्ण पते का उल्लेख करें।	है/ नहीं
7	क्या किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघ द्वारा आपकी संस्था को काली सूची में नामांकित किया गया है ?	फर्म के लेटर हेड पर स्वयं का उद्घोषणा पत्र संलग्न करें।	है/ नहीं

मैंने निविदा आमंत्रण सूचना, अनिवार्य अर्हताओं के सम्बंध में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों के दिशा-निर्देश तथा भोजन व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देशों को, पूर्णतः पढ़ एवं समझ लिया हूँ और उस में दिये गये निर्देश के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :-

नाम :-

दिनांक :-

पत्राचार हेतु पता :-

दूरभाष/मो.नं. :-

**भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल**

:: वार्षिक साधारण सभा में स्वल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था हेतु आवश्यक शर्तें ::

1	निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह मान लिया जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिए दी गयी निविदा की शर्तों तथा भोजन व्यवस्था के सम्बंध में आवश्यक दिशा-निर्देश का अवलोकन निविदाकार द्वारा कर लिया गया है, तथा वार्षिक साधारण सभा में स्वल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है तथा उसे स्वीकृत है।
2	उक्त कार्य हेतु जारी आदेश, जारी किये जाने की दिनांक से वार्षिक साधारण सभा की तिथि तक प्रभावशील रहेगा।
3	निविदाकार को निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि (Earnest Money) रुपये 6,000/- (रुपये छः हजार) ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के प्रस्तुत निविदाओं को अमान्य किया जावेगा। National Small Scale Industries Corporation से पंजीकृत फर्मों सहित अन्य किसी भी प्रकार के शासकीय संस्थाओं से अनुशंसित किसी भी निविदाकार को धरोहर/प्रतिभूति राशि जमा करने के संबंध में छूट नहीं दी जावेगी। धरोहर/प्रतिभूति राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
4	निविदा पूर्णतः/अंशतः स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को होगा।
5	नगर पालिका/नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, श्रम विभाग, विक्रय विभाग आदि से संबंधित जो भी लायसेंस/परमिट इत्यादि प्राप्त करना होगा उसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। साथ ही समस्त आवश्यक लायसेंस/परमिट की छायाप्रति निविदाकार को दुग्ध संघ कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। सफल निविदाकार को श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
6	वार्षिक साधारण सभा में स्वल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था हेतु ठेकेदार को स्वयं के बर्तन, गैस चूल्हा, पानी एवं अन्य आवश्यक सामान की व्यवस्था करनी होगी एवं खाद्य सामग्री के निर्माण में गैस का ही प्रयोग किया जायेगा।
7	वार्षिक साधारण सभा में स्वल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था हेतु बिजली का व्यय भोपाल दुग्ध संघ द्वारा वहन किया जावेगा।
8	सभा स्थल में फर्नीचर की व्यवस्था भोपाल दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी।
9	ठेकेदार को उक्त कार्य में संलग्न किये जाने वाले श्रमिकों की सम्पूर्ण जानकारी यथा नाम, पता आदि की जानकारी फोटो सहित प्रमाणित कर दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगी।
10	सफल निविदाकार को Buffet की व्यवस्था में प्रपत्र 4 अनुसार भोजन, स्वल्पाहार एवं चाय की व्यवस्था करना होगा। Buffet की व्यवस्था करने हेतु फर्म द्वारा आवश्यकतानुसार योग्य कर्मचारी, आवश्यक क्राँकरी, अन्य बर्तन, डस्टबिन, टिशू पेपर, पेयजल तथा कार्य समाप्ति उपरांत साफ-सफाई की व्यवस्था भी किया जाना होगा।

11	सफल निविदाकार द्वारा उत्तम किस्म की स्टील या बोन चाइना के बर्तन भोजन परोसने एवं भोजन पकाने के लिये उपयोग किये जाने होंगे। प्लास्टिक/मैलामाईन या इससे मिलते-जुलते पदार्थ के बने बर्तनों/प्लेट आदि का इस्तेमाल भोजन पकाने एवं परोसने में नहीं किया जावेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का उपयोग फर्म द्वारा नहीं किया जावेगा।
12	खाद्य पदार्थों एवं उक्त कार्य हेतु व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन स्वतंत्र है। कार्य में असंतोषजनक खाद्य पदार्थ/खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता निम्न स्तर के पाये जाने की स्थिति में भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह खाद्य सामग्री को नष्ट करवाने की कार्यवाही करते हुए ठेकेदार पर रुपये 5000/- का जुर्माना भी आरोपित कर सकेगा। कार्य में अव्यवस्था पाये जाने, गंदगी पाये जाने, ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने की स्थिति में भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार पर रुपये 5000/- का जुर्माना आरोपित कर सकेगा।
13	सफल निविदाकार द्वारा भोजन, स्वल्पाहार, चाय, दूध आदि की गुणवत्ता बनाये रखने में या भोजन पकाने या परोसने में स्वच्छता सुनिश्चित करने अथवा संचालन करने में कोई गंभीर त्रुटि या लापरवाही की जाती है, जिसके फलस्वरूप कार्य किसी उच्च दर प्रदायकर्त्ता को देने की स्थिति निर्मित होती है, तो इस कारण से कार्यालय को होने वाली आर्थिक हानि की वसूली प्रथमतः निविदाकार के लम्बित देयक से एवं राशि ज्यादा होने पर प्रतिभूति राशि से काटी जावेगी। प्रतिभूति राशि से कटौती की स्थिति में सफल निविदाकार उतनी राशि 48 घण्टे के अंदर कार्यालय में जमा करायेगा।
14	खाद्य पदार्थों में सामान्यतः किसी भी प्रकार के रंग का प्रयोग किया जाना वर्जित होगा। अत्यंत आवश्यक होने की दशा में एफ.एस.एस.ए.आई. के मानक स्तर के खाद्य रंग का अल्प मात्रा में उपयोग किया जा सकेगा।
15	डिब्बा बंद उक्त खाद्य पदार्थों की शुद्धता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व सफल निविदाकार का होगा। तैयार खाद्य पदार्थ तथा खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिये उपयोग में लाई गई सामग्री में अपमिश्रण पाये जाने पर दाण्डिक दायित्व सफल निविदाकार का होगा। किसी तरह के अपराधिक दायित्व के लिये कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
16	सफल निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्य/पेय पदार्थ का सेवन करने से किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक क्षति के लिये सफल निविदाकार उत्तरदायी होगा।
17	कार्यक्रम में उपयोग में लाये जाने वाले फल एवं सब्जियों का ताजा होना आवश्यक होगा। किसी तरह की सड़ी-गली सब्जियों एवं फलों का उपयोग नहीं किया जावेगा।
18	कैटरिंग कार्य में उपयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री उच्च गुणवत्ता एवं प्रसिद्ध ब्रांड की होना अनिवार्य है। कार्यालय द्वारा सामग्री का कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
19	सफल निविदाकार को Buffet भोजन व्यवस्था के साथ अतिथियों की संख्या के अनुसार प्रति व्यक्ति एक लीटर मिनरल वाटर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। पृथक से भी केम्पर में अथवा बोतल बंद पेयजल की आपूर्ति की जानी होगी।
20	सफल निविदाकार को भोजन/स्वल्पाहार व्यवस्था आदि हेतु प्रदाय किया गया कार्य, आदेश में दर्शित स्थल पर सम्बंधित अधिकारी के निर्देशानुसार एवं समयावधि में उपस्थित होकर करना होगा।
21	ठेकेदार को समस्त श्रम अधिनियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। कार्य में रखे जाने वाले श्रमिकों की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
22	कार्य समाप्त होने की स्थिति में निविदाकार से यदि कोई सामग्री, धनराशि, आर्थिक दण्ड एवं किसी भी प्रकार की वसूली शेष रहती है, तो भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह उक्त राशि निविदाकार की सुरक्षा निधि राशि में कटौती कर शेष राशि निविदाकार को वापस करेगा।

23	निविदाकार द्वारा किये गये कार्य का भुगतान स्वीकृत दरों के आधार पर ही किया जावेगा। स्वल्पाहार हेतु न्यूनतम 500 व्यक्तियों एवं भोजन हेतु न्यूनतम 1300 व्यक्तियों की राशि का भुगतान किया जावेगा। स्वल्पाहार अथवा भोजन में निर्धारित प्लेट संख्या से अधिक संख्या में भोजन उपलब्ध कराने पर अतिरिक्त भोजन का भुगतान प्रति प्लेट के मान से स्वीकृत दर पर ही किया जावेगा।
24	निविदाकार द्वारा सभा स्थल में किसी भी खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं किया जावेगा।
25	निविदाकार को उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से निम्न शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करना होगा— 1. निविदाकार को निविदा प्रपत्र में वर्णित सूची (प्रपत्र-04) के अनुसार ही भोज्य सामग्रियां, सभा में उपस्थित सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। सूची के अनुसार भोज्य सामग्रियां उपलब्ध नहीं कराने पर ठेकेदार के देयक से 50 प्रतिशत राशि का कटौती किया जावेगा। 2. ठेकेदार को स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जावेगा एवं आवश्यकतानुसार सुविधायें देनी होंगी।
26	यदि एक से अधिक निविदाकर्ताओं द्वारा एक समान दरें प्रस्तुत की जाती हैं, तो ठेका आवंटन हेतु लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा। लॉटरी के समय निविदाकर्ता/उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
27	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ संयंत्र में कार्यरत संचालक मण्डल के सदस्यों/उनके परिजनों, दुग्ध संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों/उनके परिजनों को उक्त कार्य हेतु ठेका प्रदान नहीं किया जावेगा।
28	किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में "आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
29	किसी भी वाद-विवाद की सुनवाई भोपाल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी।

उपरोक्त शर्त क्रमांक 1 से 29 तक सभी शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए निर्धारित प्रपत्र 05 में भाव दर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

स्थान :-	हस्ताक्षर
दिनांक :-	नाम :-
	वर्तमान पता :-
	स्थायी निवास का पता :-
	फोन नं.
	मोबाईल नं.

(फर्म के लैटर हैड पर)

शपथ पत्र/घोषणा पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).....(पता).....(पंजीयन क्रमांक).....

शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्मको किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघ द्वारा काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर शपथकर्ता

भोज्य आहार का विवरण (प्रति व्यक्ति)

क्र	विवरण	व्यक्तियों की संख्या	समय	आहार विवरण प्रति सदस्य
1.	स्वल्पाहार	500 व्यक्तियों हेतु	प्रातः 9.30 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक	भजिया (तीन प्रकार के— सादा, आलू एवं प्याज के, न्यूनतम 150 ग्राम प्रति व्यक्ति मीठी एवं खट्टी चटनी के साथ), जलेबी (न्यूनतम 70 ग्राम प्रति व्यक्ति) एवं चाय (न्यूनतम 100 एम.एल. प्रति व्यक्ति)।
2.	भोजन भरपेट दोपहर	1300 व्यक्तियों हेतु	मध्याह्न 12.00 बजे से सभा समाप्ति तक	पूड़ी (दो प्रकार की सादी एवं मसाला), सब्जी (दो प्रकार की— मटर पनीर एवं मिक्स वेज), दाल फ्राई, जीरा फ्राइड राइस, बूंदी (बड़े दाने वाली), दही बड़ा, अचार, पापड़, सलाद।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल

:: भाव दर पत्रक ::

'अ' – वार्षिक साधारण सभा हेतु भोज्य पदार्थ/आहार की भाव दरें –

क्र	विवरण	दर प्रति प्लेट (ऑनलाईन ही प्रस्तुत करें)
1	स्वल्पाहार (प्रपत्र-4 अनुसार)	
2	भोजन (प्रपत्र-4 अनुसार)	

मेरे द्वारा भाव पत्र में दी गई सभी जानकारी पढ़ी और समझ ली गई है। प्रपत्र 02 में दी गई समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए निर्धारित प्रपत्र 05 में भाव दर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

स्थान :-	हस्ताक्षर :-
दिनांक :-	नाम :-
	वर्तमान पता :-
	स्थायी निवास का पता :-
	मोबाईल/दूरभाष नं.:-